



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]
No. 243]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 1999/वैशाख 29, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 1999/VAISAKHA 29, 1921

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 1999

सा. का. नि. 362(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली 1981 के नियम 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए बसूल करने योग्य पूर्व-निर्धारित दरें इस प्रकार अधिसूचित करती हैं :—

भूमि की श्रेणी

नरेला के लिए 1997-98 में प्रति वर्ग मीटर
अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें

1. सी. जी. एच. एस. के लिए भूमि
2. वैकल्पिक भूखण्ड

2643.00 रुपए

2385.00 रुपए

(आन्तरिक विकास की लागत इसमें शामिल है)

3. आवास स्कीमें

एस. एफ. एस.

2643.00 रुपए

एम. आई. जी.

2203.00 रुपए

एल. आई. जी.

1322.00 रुपए

ई. डब्ल्यू. एस.

881.00 रुपए

(आन्तरिक विकास की लागत फ्लैटों की कीमत
निर्धारित करते समय जोड़ी जाएगी)

4. झुग्गी-झोपड़ी और अनधिवासी

881.00 रुपए

(आन्तरिक विकास को छोड़कर जो अन्तरिम
व्यवस्था के साथ दिल्ली नगर निगम के स्लम
विंग द्वारा किए जाने हैं।)

ये दरें वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए लागू होंगी।

[संख्या के-20014/3/98-डी.डी. IIए]

डा. निवेदिता पी. हरन, निदेशक (डीडी)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 1999

G. S. R. 362(E).—In exercise of powers conferred by Rule 2(1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 the Central Government, hereby, notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :—

Category of Land	Approved pre-determined rates for Narela 1997-98 per sq. mtr.
1. Land for CGHS	Rs. 2643.00
2. Alternative plots	Rs. 2385.00
	(The cost of internal development is included)
3. Housing Schemes	
SFS	Rs. 2643.00
MIG	Rs. 2203.00
LIG	Rs. 1322.00
EWS	Rs. 881.00
	(Internal development charges will be added at the time of finalising cost of flats.)
4. JJ & Squatters/ Resettlements	Rs. 881.00
	(Excluding internal development which alongwith interim arrangement has to be done by slum wing of MCD.)

These rates are effective for the financial year 1997-98.

[No. K-20014/3/98-DD IIA]

DR. NIVEDITA P. HARAN, Director (DD)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 1999

सा. का. नि. 363(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विभिन्न उपभोगों के लिए वसूल करने योग्य पूर्व-निर्धारित दरें इस प्रकार अधिसूचित करती है :—

भूमि की श्रेणी	द्वारका के लिए 1997-98 में प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें
1. सी. जी. एच. एस. के लिए भूमि	3182.00 रुपए
2. वैकल्पिक भूखण्ड*	2749.00 रुपए
3. आवास स्कीमें	
एस. एफ. एस.	3182.00 रुपए
एम. आई. जी.	2652.00 रुपए
एल. आई. जी.	1591.00 रुपए
ई. डब्ल्यू. एस.	1061.00 रुपए
	(आन्तरिक विकास की लागत फ्लैटों की कीमत निर्धारित करते समय जोड़ी जाएगी)
4. औद्योगिक*	3280.00 रुपए

5. झुग्गी-झोपड़ी और अनधवासी 1061.00 रुपए
(आन्तरिक विकास लागत को छोड़कर)
टिप्पणी : *औद्योगिक और वैकल्पिक भूखण्डों में आन्तरिक विकास हेतु 623.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर और उपयोग और कब्जा प्रभार हेतु 4.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर बी. ई. दर में जोड़ा गया।
यह दरें वित्तीय वर्ष 1997-98 से प्रभावी होंगी।

[संख्या के-20014/3/98-डी.डी. IIए]

डा. निवेदिता पी. हरन, निदेशक (डीडी)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 1999

G. S. R. 363(E).—In exercise of powers conferred by Rule 2(1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 the Central Government, hereby, notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :—

Category of Land	Approved pre-determined rates for Dwarka 1997-98 per sq. mtr.
1. Land for CGHS	Rs. 3182.00
2. Alternative plots*	Rs. 2749.00
3. Housing Schemes	
SFS	Rs. 3182.00
MIG	Rs. 2652.00
LIG	Rs. 1591.00
EWS	Rs. 1061.00
	(Internal development charges will be added at the time of finalising cost of flats.)
4. Industrial*	Rs. 3280.00
5. JJ & Squatters/ Resettlements	Rs. 1061.00 (Excluding internal development cost)

Note : *For industrial and alternative plots, an amount of Rs. 623.03 per sq. mtr. on account of internal development and Rs. 4.80 per sq. mt. on account of use and occupation charges have been added to the BE rate.

These rates are effective for the financial year 1997-98.

[No. K-20014/3/98-DD IIA]

DR. NIVEDITA P. HARAN, Director (DD)

